राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 60 / 2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021 / 105
दायर दिनांक– 28.06.2021
निर्णय दिनांक– 07.12.2023

1. चांद मोहम्मद पुत्र पीर खां जाति कसाई मुसलमान नि0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

बनाम

1. जमील मोहम्मद पुत्र बाबू खां
2. छोटू खां पुत्र पीर खां
3. अहसान मोहम्मद पुत्र बाबू खां
4. श्रीमती अकरोजा पत्नि बाबू खां
5. सखूरन पत्नि स्व0 शाहबूदीन
6. शकील पुत्र स्व0 शाहबूदीन
7. आन्ना पुत्री स्व0 शाहबूदीन
8. परवीन पुत्री स्व0 शाहबूदीन
9. फरजाना पुत्री स्व0 शाहबूदीन
10. अफसाना पुत्री स्व0 शाहबूदीन
    सर्वजाति कसाई मुसलमान सर्वनिवासीगण ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
12. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री जितेन्द्र शर्मा, अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त कब्जे, काश्त खातेदारी की कृषि [illegible] रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़, भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ [illegible] ख0न0 2208 रकबा 1.6989 है0 व ख0न0 2209 रकबा 0.0566 है0 भूमि अवस्थित है। प्रार्थी एवं [illegible]र्थी संख्या 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य है व सहखातेदार है। उक्त खसरा [illegible] की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 अपने निहित राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके [illegible] काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी के साथ नींव–सींव, मेड़ को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते है जिससे अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के बीच सामाजिक सम्बन्ध खराब होने की पूर्ण आशंका बनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:04:36 IST
Reason: SelfAttested

07.12.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

रहती है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आये दिन वर्णित आराजी का बिना विधिक बंटवारा किये बिना अन्य व्यक्ति को बैचान करने की ऐलानियां धमकियां देते है। इस कारण अप्रार्थीगण का अवैध कृत्य को रोका जाना आवश्यक है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है ताकि वे किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण करने को आमादा नही हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 11) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण में किसी तरह को कोई राजहित प्रभाहित नहीं होना जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 10 नींव, सींव को लेकर विवाद उत्पन्न करते है एव अप्रार्थी संख्या 1 से 10 उक्त कृषि आराजी का बिना किसी विधिक बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण करने को आमादा रहते है।। अतः प्रार्थी को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन; अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ ख0न0 2208 रकवा 1.6989 है0 व ख0न0 2209 रकबा 0.0566 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:04:36 IST
Reason: SelfAttested

07.12.2023

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)